बिहार विधान परिषद

205वांं शीतकालीन सत्र

8 नवंबर 2023

: [**सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी**].

कुल प्रश्न 27

वेतन का भुगतान

***23 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि भूदान यज्ञ समिति के कर्मचारियों को पिछले 44 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे वे भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार अन्य कर्मचारियों की भांति भूदान यज्ञ समिति के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने तथा बकाए वेतन का भुगतान छठ पर्व के पूर्व करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

आधारभूत संरचना का निर्माण

***24 श्री संजय पासवान (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के मुख्य सचिव ने दिनांक- 23.12.2022 को पर्यटन सचिव के साथ नवादा जिला के नरहट प्रखंड अंतर्गत ग्राम शेखपुरा में स्थित हजरत

ख्वाजा अब्दुल्लाह चिश्ती की प्राचीन दरगाह तथा छोटी दरगाह के सौन्दीर्यीकरण, जीर्णोद्धार तथा आधारभूत संरचना के निर्माण की प्रस्तावित योजना की समीक्षा की थी;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त समीक्षा के दौरान भूमि की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरान्त उक्त स्थलों के विकास की सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की गयी थी;

(ग) क्या यह सही है कि नवादा के जिला पदाधिकारी ने प्रस्तावित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में सरकार को समर्पित कर दिया है तथा बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी एन.ओ.सी. प्रदान कर दिया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रस्तावित स्थल के सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार तथा वहां पर आधारभूत संरचना के निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

*25 **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर नगर परिषद् क्षेत्र में तकिया पर से दानापुर बस स्टैंड तक की सड़क पूर्णतः अतिक्रमित है, जिसके कारण पूरी सड़क पर जाम लगने के कारण आवागमन आधित रहता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कर आवागमन सुचारु करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

इथनोग्राफी रिपोर्ट

*26 **डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **सामान्य प्रशासन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में जातीय गणना कराई गई है, जिसके आंकड़े सार्वजनिक किये गए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि 2013, 2015, 2016 में चंद्रवंशी, बहेलिया, माली का जातीय गणना इथनोग्राफी रिपोर्ट एएन सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना द्वारा सार्वजनिक की गई थी;

(ग) क्या यह सही है कि इथनोग्राफी रिपोर्ट के आंकड़ों एवं बिहार सरकार के

आंकड़ों में काफी बड़ा अंतर है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बताना चाहती है कि इथनोग्राफी रिपोर्ट के आंकड़े सही हैं या बिहार सरकार द्वारा जारी आंकड़े एवं दोनों में इतना अंतर होने का क्या कारण है?

अतिक्रमण से मुक्त

*27 **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत प्रदेश के हजारों तालाबों की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला (civil writ jurisdiction case) 9692/2015 में दिनांक- 01.12.2022 को सभी जिला प्रशासन को चार हफ्ते के भीतर तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया था;

(ग) क्या यह सही है कि नवादा जिला के प्रखंड नवादा अंतर्गत महुली पंचायत के सिसवां गांव में खावा पोखर को बिना अतिक्रमण मुक्त कराये खुदाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिसवां गांव के खावा पोखरा को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

बाईपास का निर्माण

*28 **श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा शहर में जाम की समस्या को देखते हुए दिन में नो एंट्री लगा दिया जाता है, जिससे बड़े वाहनों एवं दूसरे राज्यों के वाणिज्यिक वाहन भी फंसे रह जाते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बड़े वाहनों एवं वाणिज्यिक वाहनों के लिए अतौआ से कादिरगंज रोड तक मिनी बाईपास का निर्माण हो जाए तो शहर में एंट्री दिए बगैर नो एंट्री के समय भी वाहनों को निकाला जा सकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बड़े वाहनों एवं

वाणिज्यिक वाहनों के लिए अतौआ से कादिरगंज रोड तक मिनी बाईपास का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जन वितरण प्रणाली की दुकान स्थापित

*29 **श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के बगहा- 1 ग्राम पंचायत सिगाडी पिपरीया के वार्ड नं.- 14 एवं 15 में जन वितरण प्रणाली की दुकान स्थापित नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त वार्डों में जन वितरण प्रणाली की दुकान नहीं रहने के कारण वहां के ग्रामीण लगभग 8 कि.मी. दूरी तय कर राशन का उठाव करते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त वार्ड के अधिकांश पुरुष रोजी-रोटी के लिए घर से बाहर रहते हैं इस स्थिति में महिलाओं को ही राशन की सामग्री 8 कि.मी. दूरी तय कर लानी पड़ती है जो काफी कठिन है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत स्थित वार्ड में ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए जन वितरण प्रणाली की दुकान स्थापित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

मूलभूत सुविधा

*30 **डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सुपौल जिला के मवेशी हाट एवं मधेपुरा जिले का सिंहेश्वर मवेशी हाट कोशी कमिश्नरी के प्रसिद्ध व पुराने मवेशी बाजार में शुमार है;

(ख) क्या यह सही है कि सुपौल मवेशी हाट एवं सिंहेश्वर मवेशी हाट में मूलभूत सुविधाए यथा पशुशेड, स्नानागार, सुलभ शौचालय का अभाव है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सुपौल मवेशी हाट एवं सिंहेश्वर मवेशी हाट में मूलभूत सुविधाओं के निर्माण का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नक्शों की स्वीकृति

***31 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के बोधगया नगर परिषद् अंतर्गत निर्माण होने वाले भवनों के लिए नगर परिषद् बोधगया से नक्शों की स्वीकृति नहीं दी जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि इस कारण नया भवन बनाने वालों को काफी कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बोधगया नगर परिषद् में नक्शों की स्वीकृति पर लगी रोक को हटाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

स्ट्रीट लाईट कबतक

***32 प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के वार्ड नं.- 04 के कौटिल्य नगर बी०एम०पी० रोड में स्ट्रीट लाईट नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि वार्ड नं.– 04 में पूर्व मंत्री शैलेन्द्र कुमार के घर के सामने से लेकर पुलिस भवन निर्माण के ऑफिस से अणर्णयन भवन तक काफी अंधेरा रहता है, जिससे आम जनता को आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्ट्रीट लाईट लगाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

अतिक्रमण से मुक्त

***33 श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम प्रखंड के धर्मशाला एवं गोला बाजार में नाले का निर्माण नहीं होने के कारण आम नागरिकों एवं बाजारवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि नाला नहीं होने के कारण सड़क पर गंदे पानी के फैलाव के कारण अन्य संक्रामक एवं गभीर बीमारियों के होने का बराबर खतरा बना रहता है;

(ग) क्या यह सही है कि धर्मशाला एवं गोला बाजार के सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करना चाहिए;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' एवं 'ग' में वर्णित स्थल पर नाले का निर्माण एवं सड़कों को अतिक्रमण मुक्त यथाशीघ्र कराना चाहती है, ताकि आज जन-जीवन पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ सके ?

मेधा सूची पुनः जारी

*34 **श्री सम्राट चौधरी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **सामान्य प्रशासन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कम्प्यूटर साइंस विषय में विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हेतु कुल 8395 पद के विरूद्ध बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रकाशित हुआ था;

(ख) क्या यह सही है कि परीक्षा के बाद मूल दस्तावेज मिलान के समय सैंकड़ों अभ्यर्थियों के दस्तावेज STET 2019 के विज्ञापन सं० 373/2019 की शर्तों के प्रतिकूल पाए गए;

(ग) क्या यह सही है कि बहुत से अभ्यर्थी CTET प्रमाण के बदले पटना उच्च न्यायालय के CWJC नं० 8666/2023 के order sheet की copy अपलोड किए है जो विज्ञापन सं०26/2023 के अनुसार योग्य है;

(घ) क्या यह सही है कि बहुसंख्यक अयोग्य अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल करने के बाद कुल 967 और सिर्फ सामान्य कोटि में 250 पद रिक्त रह गए हैं;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार BPSC TRE (Adv. No- 26/2023) के दस्तावेज सत्यापन के दौरान बरती गई अनियमितता के कारण प्रकाशित त्रुटिपूर्ण TRE कम्प्यूटर साइंस विषय के परीक्षा परिणाम को संशोधित करते हुए प्रतीक्षा सूची के साथ मेधा सूची पुनः जारी करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जमीन के पुराने रिकॉर्ड की उपलब्धता

*35 **श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में भूमि के सर्वे का काम चल रहा है सर्वे के क्रम में ऐसा पाया जा रहा है कि भूमि का जो पुराना दस्तावेज है, कागजात है वे सभी किसानों के पास उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या यह सही है कि भूमि से संबंधित कागजात किसानों के साथ ही सरकार के रिकॉर्ड में भी उपलब्ध होना चाहिए। जमीन के ये संबद्ध कागजात किसानों के पास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सरकार अपने रिकॉर्ड से कागजात उपलब्ध कराने का विचार रखती है, विशेष कर जमीन के पुराने केवाले और उनका रेंट रॉल;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो ऐसी भूमि जिनका केवाला और रेंट रॉल ना किसान के पास है ना ही सरकार के पास उपलब्ध है, लेकिन उसका खतियान और मालगुजारी रसीद किसान के पास उपलब्ध है तो क्या सरकार ऐसी भूमि का किसानों के हक में सर्वे करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

पर्यटन स्थल की सूची में शामिल

*36 **प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अरवल जिला के कुर्था प्रखंड में प्राचीन पंचतीर्थ (पंतित) स्थल है जो हिन्दुओं के प्राचीन ग्रंथ पुराणों में वर्णित है;

(ख) क्या यह सही है कि हिन्दुओं के इस अति प्राचीन स्थल पर पाण्डवों ने आकर जल तर्पण किया था, परन्तु आज तक पर्यटन स्थल की सूची में इस स्थल का नाम अंकित नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार हिन्दुओं की आस्था को देखते हुए पर्यटन स्थल की सूची में उक्त स्थल का नाम कबतक अंकित करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

भ्रष्टाचार की समाप्ति हेतु नीति

*37 **श्री जनक राम (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **निगरानी** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रखंड से लेकर जिलास्तर पर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकारी कार्यालय में आमजनों का कार्य बिचौलियों की सहायता के बिना नहीं होता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भ्रष्टाचार/ बिचौलियों को समाप्त करने के लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

लंबित राशि का भुगतान

*38 **श्री भूषण कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **आपदा प्रबंधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वैशाली जिला के भगवानपुर प्रखंड में वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय संवेदक भी दिलीप कुमार के द्वारा क्वारेंटाइन सेंटर का संचालन किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि संवेदक द्वारा क्वारेंटाइन सेंटर पर भोजन, लुंगी, गमछा, साबुन, तेल इत्यादि की व्यवस्था की गई थी;

(ग) संवेदक श्री दिलीप कुमार के द्वारा विपत्र जमा कर देने के बावजूद अभी तक भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संवेदक की लंबित राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड़क का निर्माण

*39 **श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला अन्तर्गत बाराचट्टी प्रखंड के बाराचट्टी से वाजूखुर्द होते हुए बमुआर तक सड़क की स्थिति बहुत ही जर्जर है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाराचट्टी से वाजूखुर्द होते हुए बमुआर तक सड़क का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

वार्ड के अनुसार जातीय गणना रिपोर्ट

*40 **श्री सच्चिदानंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

क्या मंत्री, **सामान्य प्रशासन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार द्वारा करवाई गई बिहार जाति आधारित गणना 2023 की रिपोर्ट में कई अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि विभिन्न क्षेत्रों की जनता लगातार इस गणना की रिपोर्ट के

गलत होने की बात कह रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी वार्डों की वार्डवार जातीय गणना रिपोर्ट सार्वजनिक करने का विचार रखती है ताकि लोग अपने अपने वार्ड की गणना से संतुष्ट हो सकें, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पर्यटन स्थल घोषित

***41 श्री कार्तिक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, पटना):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत मोकामा प्रखण्ड की शिवनार पंचायत में अति प्राचीन (नीलकंठ महादेव मंदिर) अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर में श्रावण महीने के पावन मौके पर ऐतिहासिक मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नीलकंठ महादेव मंदिर, शिवनार (मोकामा) पटना को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करते हुए पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

अतिक्रमण मुक्त कबतक

***42 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत राजकुमार गंज वार्ड नंबर 12 में नाला पर ही बाउंड्रीवॉल का निर्माण कर दिया गया है, जिससे कि आम जानता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नाला से अतिक्रमण मुक्त करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जलजमाव की समस्या का निवारण

***43 श्री राजीव कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला के नगर परिषद तेघड़ा के कई इलाकों में

बरसात के मौसम में जलजमाव हो जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2016 से ही नगर परिषद तेघड़ा में बाटर लॉगिंग रोकने के लिए बराबर STP और DPR तैयार कर विभाग भेजा जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि जलजमाव के कारण नगर परिषद तेघड़ा के लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नगर परिषद तेघड़ा के निवासियों को जलजमाव की समस्या से निकालने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नियमों में संशोधन

***44 श्रीमती रीना देवी (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सरकार की नए नियमावली के अनुसार नगर निकाय के उप मेयर, उप मुख्य पार्षद का चुनाव भी सीधे जनता के द्वारा होने के बाद भी उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि सीधे जनता के द्वारा चुने गए मेयर/मुख्य पार्षद को काफी अधिकार प्राप्त हैं;

(ख) क्या यह सही है कि दोनों के मतदाता भी एक ही हैं, ऐसी स्थिति में उप मेयर, उप मुख्य पार्षद सरकार की नए नियमावली से बंधे होने के कारण/अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण मतदाताओं के उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियमों में संशोधन करके जनता के द्वारा सीधे चुने हुए उप मेयर, उप मुख्य पार्षद को भी अधिकार देने का विचार रखती है?

राजस्व परवाना निर्गत

***45 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिला के समेली प्रखंड अन्तर्गत ग्राम भदैया टोला में बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए भारत सरकार द्वारा मौजा-मुरादपुर, थाना नं.- 291, खाता नं.- 124, खेसरा नं.- 1129 एवं 1168, रकबा- 20 एकड़ अर्जित भूमि पर बसे शरणार्थी पलायन कर गए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त अर्जित खाली पड़ी भूमि पर लगभग 350 भूमिहीन

परिवार कई वर्षों से बसोवासित हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बसोवासित भूमिहीन परिवारों को भूमि बन्दोबस्ती करते हुए राजस्व परवाना निर्गत करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

कचरा उठाव पर व्यय हुई राशि

*46 **श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार)**:

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य में नगर पालिका से उत्क्रमित नगर निगम के कूड़ा उठाव का कार्य आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सही है कि उत्क्रमित नगर निगम के कूड़ा उठाव के लिए अलग अलग नगर निगमों के वार्ड की संख्या एवं सभी वार्डों पर खर्च होने वाली राशि क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि अन्य नगर निगमों के वार्ड की संख्या एवं खर्च की राशि के अनुपात में समस्तीपुर नगर निगम के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि अधिक है तथा समस्तीपुर नगर निगम के द्वारा अधिक राशि क्यों खर्च की जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त विभाग की जांच करने एवं आवश्यक कारवाई करने का ओदश देना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

जांच पर नियमानुसार कार्रवाई

*47 **श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार)**:

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के झंझारपुर नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता द्वारा जन कल्याण समिति नामक एजेंसी को कचरा प्रबंधन, परिवहन, डोर टू डोर गीला एवं सूखा कचरा संग्रहण का कार्य आवंटित किया गया, परन्तु एजेंसी द्वारा एकरारनामा के नियम एवं शर्त के अनुकूल कार्य नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि कार्यपालक अभियंता और एजेंसी दोनों की मिलीभगत के कारण झंझारपुर नगर परिषद के सभी वार्डों में साफ-साफाई एवं नाला उड़ाही का कार्य नियमानुकूल नहीं हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित पदाधिकारी और ऐजेंसी की जांच कराते हुए नियमानुकूल कार्रवाई करने का विचार रखती है?

रसीद काटने हेतु

***48 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत प्रखंड-पटना सदर के खाता नं.- 516, खेसरा नं.- 152, थाना नं.- 1/14, रकबा-18.5 डिसमिल जमीन, जमाबंदी सं.- 10067, पृष्ठ सं.- 10067, भाग वर्तमान- 70, हलका-अजीमाबाद, मौजा-पहाड़ी में श्री जय प्रकाश मेहता एवं स्व. ओमप्रकाश मेहता, पिता- मिश्री मेहता, निवासी- ग्राम-हेमजापुर, पो.+थाना- खुसरूपुर, जिला-पटना- 803202 के नाम से जमाबंदी कायम है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित जमीन श्री संतोष कुमार, श्री दीपक कुमार, श्री योगेन्द्र पासवान एवं अन्य के नाम से दिनांक- 29.05.2023 को रजिस्ट्री की गई है, आवेदक द्वारा 20.06.2023 को रसीद काटने हेतु आवेदन भी दिया गया, लेकिन अंचलाधिकारी, पटना सदर द्वारा खंड 'ख' में वर्णित व्यक्तियों के नाम से रसीद नहीं काटी जा रही है, कर्मचारी द्वारा भी बारंबार टहलाया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ख' में वर्णित वयक्तियों के नाम से अविलंब रसीद कटवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

रसीद निरस्त हेतु यथाशीघ्र आदेश

***49 डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत प्रखंड दानापुर नं.- 21 प्लॉट नं.- 1246 खाता नं.- 319 खेसरा नं.- 1248 रकबा 11 कट्ठा 15 धुर जमीन गोला रोड भट्ठी पर श्री विनोद कुमार पिता स्व. लाल बाबू साह के नाम से है जिसकी दिनांक- 20.06.2018 को रसीद सं.- 0379241 जमाबंदी सं.- 16132 द्वारा 3000 रुपए की राशि अदा कर दी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि भाग वर्तमान 48 पृष्ठ सं.- 35771 जमाबंदी सं.- 16132 में दो खाता सं.- क्रमशः 319 एवं 337 खेसरा सं.- क्रमशः 1246 एवं 1247 कर खंड 'क' में वर्णित जमीन 11 कट्ठा 15 धुर की जगह अंचलाधिकारी दानापुर द्वारा दिनांक- 04.09.2023 को रसीद सं. 212139900030731 द्वारा जमीन घटाकर 9 कट्ठा 15 धुर कर दिया गया है जो न्यायोचित नहीं है इसमें अंचलाधिकरी की लापरवाही एवं घोर अनियमितता प्रतीत होती है जिस कारण जमीन मालिक की मानसिक स्थिति काफी खराब हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी अंचलाधिकारी पर एफ.आइ.आर. दर्ज कर खंड 'क' मं

वर्णित जमीन को बरकरार रखने हेतु अविलंब आदेश एवं खंड 'ख' में वर्णित जमीन से संबंधित रसीद को निरस्त करने हेतु यथाशीघ्र आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?